न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बबेरू, बांदा।
परिवाद सं0— 682/IX/2018

पूजा बनाम राहुलआदि।

18.09.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। बार—बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी वादिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले के पक्षकार विगत कई तिथियों से वाद में अनुपस्थित आ रहे हैं। परिवादिया को पैरवी हेतु कई बार आदेशित किया गया परन्तु परिवादिया द्वारा पैरवी नहीं की गयी, ऐसा प्रतीत होता है कि वादिया का उपरोक्त परिवाद में किसी प्रकार हित शेष नहीं रह गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद पैरवी के अभाव में व परिवादिया की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
बबेरू, बांदा।